Before Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of OA No. 661/2018 titled Praveen Kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors

List of documents

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	Letter dated 22.10.2019 of Collector, Gurugram.	1
2	Letter dated 22.10.2019 of Revenue Department.	2
3	Letter dated 28.07.2020 of HSPCB.	3
4	Letter dated 30.07.2020 of DRO, Gurugram.	4
5	Letter dated 04.08.2020 of HSPCB.	5
6	Letter dated 07.08.2020 of HSPCB.	6
7	Letter dated 11.08.2020 of Deputy Commissioner, Gurugram	7-8
8	Order dated 14.08.2020 of Collector-cum-SDM, Badshahpur	9-10
9	Letter dated 30.09.2020 of Tehsildar, Wazirabad, Gurugram.	11
10	Letter dated 30.09.2020 of the Deputy Commissioner, Gurugram.	12

URGENT RECOVERY MATTER

From

Collector, Gurugram.

To

Tehsildar Gurugram

Memo No. 3221 /DRA Dated 22-10-19

Subject: Recovery as arrears of land revenue for Rs 4044000/.-Ansal Properties & Infrastructure In Sushant Lok-I, Gurugram.

R.C./R.R.II No. 2165 dated 22-10-19

You are hereby authorized to realize the amount of recovery certificate attached and it is requested to convey the progress report to the concerned Court under intimation to this office.

Please treat it as Most Urgent.

Singh

d/c for Collector, Gurugram

Endst.No. 3222 /DRA Dated 22-10-19

A copy is forwarded to Central Ground Water Board, North Western Region, Bhujal Bhawan, Plot # 3-B Sec-27-A Madhya Marg, Chandigarh-160019 with reference to his Memo No 992 dated 26-09-2019 for information and necessary action please, further correspondence regarding recovery may be made with the Tehsildar Gurugram.

Singh

d/c for Collector, Gurugram

RC 2165

Dt 22-10-19

विषय: रिकवरी विरूद्ध श्री Ansal properties & infrastructure in Sushant Lok-1 Gurugram Haryana.

पि0 पत्र0: Memo. No. 992 Dated: 26-9-19
Central Ground Water Authority
Constituted Under Sec-3(3) of Environment (protection) Act 1986 Gallery No 13/11 Jamnagar House Mansingh Road
सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री Ansal properties & infrastructure
~~पुत्र~~ श्री in Sushant lok-1 निवासी Gurugram Haryana
से मु0 40,44000/- /-रूपये
की वसूली उसकी चल अचल सम्पति से वसूल करके भेजने बारे अनुरोध किया है यह वसूली कलैक्टर/तहसीलदार Gurugram द्वारा की जानी है।

यदि अनुमति हो तो उक्त वसूली को बतौर भू राजस्व घोषित करके कलैक्टर/तहसीलदार Gurugram को वसूली पत्र भेजकर लिखा जाना उचित होगा कि वह बाकीदार से मु0 40,44000/- /- रू की वसूली करके शीघ्र इस कार्यालय मे भिजवाने तथा इसकी एक प्रति सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी उचित होगी।

वसूली प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

DRA
DSR
DO

22/10/19

WBTN
22/10/19

DRA

(2) 22/10/19

Regional Office, Gurugram (N)
Haryana State Pollution Control Board
Vikas Sadan, Opposite- New Court, Gurugram

Tel: 0124-2332775, 2220523

Website: www.hspcb.gov.in
Email: hspcbrogrn@gmail.com

No. HSPCB/GRN/2020/531 **Dated 28.07.2020**

To

The District Revenue Officer,
Gurugram.

Sub: **Original Application No. 661/2018 titled Praveen Kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors.**

Ref:- **Hon'ble NGT order dated 05.02.2020 & 13.09.2019.**

Kindly refer to the subject noted above, it is intimated that the Hon'ble NGT vide its order dated 13.09.2019 has issued directions that the Collection of Environmental Compensation imposed by CPCB/CGWA be ensured by the City Magistrate, Gurugram. DC, Gurugram had to submit compliance before Hon'ble NGT. The Deputy Commissioner, Gurugram has already deputed Tehsildar, Gurugram vide letter No. 3639 dated 07.01.2020. Further, it is intimated that the during review meeting held on 17.07.2020 through Video Conferencing in compliance of Hon'ble NGT order dated 05.02.2020 Worthy Chief Secretary, Haryana has taken serious note regarding non collection of environmental compensation till now.

Keeping in view of above, you are requested to depute the Tehsildar holding the charge of area in question to recover the Environmental Compensation imposed by CPCB/CGWA as mentioned in Hon'ble NGT order dated 05.02.2020 and submit action taken report to DC Gurugram under intimation to this office immediately, so that the action taken report may be submitted to CS Haryana for submission before Hon'ble NGT. The next date of hearing in the matter is 25.08.2020.

KULDEEP SINGH Digitally signed by KULDEEP SINGH Date: 2020.07.28 11:41:23 +05'30'

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

Endst. No. HSPCB/GRN/2020/532 **dated: 28.07.2020**

A copy of above is forwarded to the Deputy Commissioner, Gurugram for information, please.

KULDEEP SINGH Digitally signed by KULDEEP SINGH Date: 2020.07.28 11:41:54 +05'30'

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

अति आवश्यक / तिथि बद्ध / कोर्ट केस

प्रेषक

जिला राजस्व अधिकारी

गुरूग्राम।

सेवा में

श्री मनीष कुमार यादव
तहसीलदार वजीराबाद।

कमांक 4626 /डी0आर0ए0 दिनांक 30-7-20

विषय :- RC No. 2165 Dated 22-10-2019 Recovery as arrears of land revenue for Rs. 4044000/. M/s Ansal Properties & Infrastructure in Sushant Lok-1, Gurugram.

Titled Praveen kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors.

उपरोक्त विषय पर Regional Office, Gurugram(N) Haryana State Pollution Control Board Vikas Sadan, Oppoisite New Court, Gurugram कार्यालय के पत्र कमाक HSPCB/GRN/2020/531 दिनाक 28.07.2020 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में इस कार्यालय द्वारा आर.सी.न0 2165 दिनाक 22.10.2019 को रिकवरी हेतु तहसीलदार गुरूग्राम को भेजा गया था। लेकिन तहसीलदार गुरूग्राम द्वारा सम्बन्धित रिकवरी केस पत्र कमाक 1930 / लेखा दिनाक 09.07.2020 द्वारा आपको भेजा गया है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित केस में निजि ध्यान देकर शीघ्र वसूली करे व इस केस में प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भिजवाये। इस बारे प्रगति रिपोर्ट व हल्फनामा मुख्य सचिव हरियाणा को भिजवाते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करवाए।

कृते:कलेक्टर, गुरूग्राम

पृ0कमांक 4627 /डी0आर0ए0 दिनांक 30-7-20

इसकी एक प्रति Regional Office, Gurugram(N) Haryana State Pollution Control Board Vikas Sadan, Oppoisite New Court, Gurugram कार्यालय के पत्र कमाक HSPCB/GRN/2020/531 दिनाक 28.07.2020 में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते:कलेक्टर, गुरूग्राम

Regional Office, Gurugram (N)
Haryana State Pollution Control Board
Vikas Sadan, Opposite- New Court, Gurugram
Website: www.hspcb.gov.in
Email: hspcbrogrn@gmail.com
Tel: 0124-2332775, 2220523

No. HSPCB/GRN/2020/570 Dated 04/08/2020

To

The District Revenue Officer,
Gurugram.

Sub: **Original Application No. 661/2018 titled Praveen Kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors.**

Ref:- **This office letter No. HSPCB/GRN/2020/531-532 dated 28.07.2020.**

Kindly refer to the subject noted above, please find enclosed herewith the proceeding of review meeting held on Chairpersonship of Smt. Keshni Anand Arora, IAS, Chief Secretary, Haryana regarding the directions of NGT in OA No. 661/2018 in the matter of Praveen Kakkar & Ors Vs MoEF & Ors on 17.07.2020 at 1630 Hrs., Main Committee Room for your kind information and further necessary action.

Keeping in view of above, you are requested to submit the detail regarding recoveries made in compliance of directions of Hon'ble NGT by 05.08.2020, so that the Worthy Chief Secretary, Haryana may be appraised accordingly by HSPCB.

DA/As above

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

Endst. No. HSPCB/GRN/2020/ **dated:**

A copy of above is forwarded to the Deputy Commissioner, Gurugram for information, please.

DA/As above

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

Regional Office, Gurugram (N)
Haryana State Pollution Control Board
Vikas Sadan, Opposite- New Court, Gurugram
Website: www.hspcb.gov.in
Tel: 0124-2332775, 2220523 Email: hspcbrogrn@gmail.com

No. HSPCB/GRN/2020/ 603-604 Dated 7-8-2020

To

The District Revenue Officer,
Gurugram.

Email ID:- drogrg@hry.nic.in drogrg@gmail.com

Sub: Original Application No. 661/2018 titled Praveen Kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors.

Ref:- This office letter No. HSPCB/GRN/2020/531-532 dated 28.07.2020 & No. 570 dated 04.08.2020.

Kindly refer to the subject noted above, it has already been intimated to you telephonically that the amount (40.44 lacs) mentioned in the letter addressed to the Tehsildar, Wazirabad in not completely mentioned as the compensation amount is of Rs. 40.44 lacs per annum w.e.f. 15.04.2015 to date of sealing in accordance with communication of the Regional Director, Central Ground Water Authority (CGWA), North Western Region, Chandigarh to the Deputy Commissioner, Gurugram vide letter No. 992 dated 26.09.2019 **(Annexure-1)** and also the compensation amount of Rs. 16.729 Crore (till 13.09.2019) imposed by Central Pollution Control Board (CPCB) is not mentioned anywhere in the letter. So, you are hereby requested to update the contents mentioned in the letter and issue the revised order to the Tehsildar, Wazirabad to recover the compensation amount imposed by CGWA & CPCB under intimation to this office. The detail of same is as under -

Sr. No.	Compensation imposed	Imposed by
1	Interim compensation of Rs. 40.44 lacs per annum w.e.f. 15.04.2015 to date of sealing	CGWA
2	Rs. 16.729 Crore (Till 13.09.2019)	CPCB

The Worthy Chief Secretary, Haryana has desired to submit the action taken report by 05.08.2020 which is still awaited from your office. Now, the review meeting will held on 11.08.2020 at 12:30 PM under the Chairpersonship of the Worthy Chief Secretary, Haryana **(Annexure-2)**. Keeping in view of above, you are requested to depute the Tehsildar holding the charge of area in question to recover the above said environmental compensation imposed by CPCB/CGWA as mentioned in Hon'ble NGT order dated 05.02.2020 and submit action taken report to DC Gurugram under intimation to this office immediately, so that the action taken report may be submitted to CS Haryana for submission before Hon'ble NGT. The next date of hearing in the matter is 25.08.2020.

DA/As above

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

Endst. No. HSPCB/GRN/2020/ dated:

A copy of above is forwarded to the Deputy Commissioner, Gurugram for information, please. (Email ID:- dcgrg@hry.nic.in)

DA/As above

Regional Officer,
Gurugram Region (N)

प्रेषक

कलैक्टर, गुरूग्राम।

सेवा में

तहसीलदार वजीराबाद

क्रमांक /डी0आर0ए0 दिनांक

विषय :- RC NO. 2428 Dated 07-08-2020 Amount 16.729 crore/ Ansal Properties & Infra. Sushan Lok, Ph-1, Gurugram.

उपरोक्त विषय पर माननीय Regional Office, Gurugram(N) Haryana State Pollution Control Board, Vikas Sadan, Opposite New Court, Gurugram के पत्र क्रमांक 603 दिनांक 07.08.2020 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में इस कार्यालय द्वारा आर.सी.न0 2428 दिनांक 07.08.2020 जारी करके रिकवरी हेतू आपको भेजा गया था। इस केस में शीध्र वसूली करने के लिए सरकार काफी दवाव दे रही है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार रिकवरी करवा कर सम्बन्धित विभाग को भेजते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

—— Sd ——
कृतेःकलैक्टर, गुरूग्राम

पृ0क्रमांक 4682 /डी0आर0ए0 दिनांक 11-8-20

इसकी एक प्रति Regional Office, Gurugram(N) Haryana State Pollution Control Board, Vikas Sadan, Opposite New Court, Gurugram के पत्र क्रमांक 603 दिनांक 07.08.2020 को सूचनार्थ प्रेषित है।

Asstt. File plz. 14/08

कृतेःकलैक्टर, गुरूग्राम

प्रेषक

उपायुक्त गुरूग्राम।

सेवा में

तहसीलदार वजीराबाद।

कमांक /डी0आर0ए0 दिनांक

विषय :- RC. No. 2165 Dated 22-10-2019 Recovery as arrears of Land revenue for Rs. 4044000/- Per Annum. M/s Ansal Properties & Infrastructure in Sushant Lok-1, Gurugram.

Titled Praveen kakkar & Ors. V/s Ministry of Environment & Forest & Ors.

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र कमांक HSPCB/GRN/2020/531Dated 28-07-2020 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर आपको आर. सी. 2165 दिनांक 22.10.2019 जारी करके आपको भेजी गई है। इस केस में सम्बन्धित विभाग से वसूली ना होने के कारण एक स्मरण पत्र इस कार्यालय में दिया है। उपरोक्त आर.सी. में नियमानुसार कार्यवाही करके प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेजते हुए इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

—Sd—
कृते: उपायुक्त गुरूग्राम

पृ0 कमांक 4687 /डी0आर0ए0 दिनांक 11-8-20

इसकी एक प्रति Regional Office, Gurugram(N) Haryana State Pollution Control Board, Vikas Sadan, Opposite New Court, Gurugram के पत्र कमांक HSPCB/GRN/2020/531 Dated 28-07-2020 को सुचनार्थ प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त गुरूग्राम

Asstt. File plz.

न्यायालय मनीषा शर्मा एच.सी.एस., कलैक्टर एवम उप–मण्ड़ल अधिकारी (ना0) बादशाहपुर।

बामुकदमा :– आर.सी. नम्बर 2165 दिनांक 22.10.2019 एरियर ऑफ लैण्ड़ रिवन्यु ऑफ रू 40,44,000/– मैसर्ज असंल प्रोपट्रीज एण्ड़ इन्फ्राटेक्चर सुशान्त लोक–1 गुरूग्राम।

मु0 नं0 : 01/SDO/B
किस्म : अटैचमैन्ट

आदेश :–

इस केस के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील वजीराबाद ने पत्र कमांक 1328/रीड़र दिनांक 05.08.2020 द्वारा इस न्यायालय में यह मिसल वसुली मिसल बाबत किये जाने अटैच प्रोपट्री इस न्यायालय में भेजी। तहसीलदार वजीराबाद ने अपनी रिर्पोट में लिखा है कि बाकीदार को दो बार रजि0 नोटिस दिया गया। जवाब में बाकीदार ने लिखा की एक सिविल अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कि हुई है जो डिस्पोजल के लिए पैन्डिग है। बाकीदार ने केवल एक पत्र दिया है जिसमें डायरी नम्बर 9431/2020 लिखा गया है। बाकीदार ने वसुली ना किये जाने बाबत कोई भी किसी सक्षम न्यायालय के बन्दी आदेश पेश ना किये है। बाकीदार की तरफ से हाजिर आये प्रतिनिधि से पुछने पर कि क्या वो बकाया जमा करायेगे उक्त ने अनभिग्गता जाहिर की है। तहसीलदार ने अपने पत्र के साथ बाकीदार की मलकियत की सूची साथ भेजकर लिखा है कि बाकीदार की अचल सम्पति (सुची सल्गंन) अटैच करने की कार्यवाही की जावे।

मैसर्ज असंल प्रोपट्रीज एण्ड़ इन्फ्राटेक्चर के चैयरमैन को इस कार्यालय के पत्र कमांक 41/रीड़र दिनांक 06.08.2020 द्वारा तलब किया गया। मैसर्ज असंल प्रोपट्रीज एण्ड़ इन्फ्राटेक्चर की तरफ से न्यायालय में श्री सिद्धार्थ यादव अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आये। उन्होने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस सन्दर्भ में एक सिविल रिट माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में दायर की हुई है। अतः रिकवरी/अटैचमैन्ट की कार्यवाही ना कि जावे। अन्त में उन्होने कहा की माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लम्बित होने के कारण आगे की कार्यवाही रोकी जावे।

तहसीलदार वजीराबाद ने अपनी रिर्पोट में मैसर्ज असंल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्राटेक्चर की प्रोपट्री की सूची में वसीका नम्बर 6992 दिनांक 18.09.2018, वसीका नम्बर 2627 दिनांक 06.06.2018, वसीका नम्बर 2616 दिनांक 06.06.2018 पेश की है और अनुरोध किया है कि सूची में दर्शाई गई प्रोपट्री को अटैच किया जावे ताकि वसूली की कार्यवाही कि जा सके।

बाकीदार कम्पनी मैसर्ज असंल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्राटेक्चर की तरफ से पेश अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता ने केवल वही बात की कि जो कम्पनी के द्वारा पहले ही तहसीलदार को लिखित में दी है। अधिवक्ता किसी भी सक्षम न्यायालय से इस वसूली की कार्यवाही पर रोक के बारे कोई बन्दी आदेश पेश नही कर सका। अतः तहसीलदार वजीराबाद की रिर्पोट से सहमत होते हुए वसूली की कार्यवाही के लिए तहसीलदार द्वारा दी गई की प्रोपट्री की लिस्ट में दर्शाई गई प्रोपट्री को अटैच करने के आदेश पारित करती हूँ।

दिनांक: 14.08.2020

कलैक्टर एवम् उप–मण्डल अधिकारी
(ना0) बादशाहपुर।

प्रेषक

तहसीलदार,
वजीराबाद।

सेवा में,

उपायुक्त महोदय
गुरूग्राम।

क्रमांक 1818 /रीडर दिनांक 30/9/2020

विषयः— **O A No. 661/2018 Titled Praveen Kakar and others V/s MoE&F**

उपरोक्त विषय पर आपकी सेवा में लिखा जाता है कि विषय वर्णित मामले में दो रिकवरी सर्टिफिकेट यथा 2165 दिनांककित 22.02.2019 व 2428 दिनांककित 07.08.2020 इस कार्यालय को वसूली के लिए प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही करते हुए बाकीदार की जो भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार ज्ञात हुई जोकि बादशाहपुर गांव में स्थित है रकबा 5 कनाल 18 मरला है। आदेश न्यायालय मनीषा शर्मा कलैक्टर एंव उपमण्डल अधिकारी (ना0) बादशाहपुर के आदेश दिनांक 18.08.2020 से कुर्क कर दी गई है। बाकीदार के कोई अन्य सम्पति तहसील वजीराबाद के क्षेत्राधिकार में ना बचती है। अतः दोनो रिकवरी सर्टिफिकेट के अधिन बकाया उक्त वर्णित भूमि से वसूला जायेगा। रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

तहसीलदार,
वजीराबाद।

प्रेषक

उपायुक्त गुरूग्राम।

सेवा में

Regional Office, Gurugram (N)
Haryana State Pollution Control Board,
Vikas Sadan Opposite New Court Gurugram(N)

कमांक 5281 /डी0आर0ए0 दिनांक 30/09/2020

विषय :– Original Application No. 661/2018 Title Parveen kakkar & others. V/s Ministry of Envirnment & Forest & others.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में।

विषयोक्त मामले में आपसे अनुरोध है कि तहसीलदार वजीराबाद ने अपने पत्र कमाकं 1818/रीडर दिनाकं 30.09.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि बाकीदार कम्पनी Ansal Propeties & Infra. Sushant Lok, Ph-1 Gurugram की राजस्व रिकार्ड अनुसार गावं बादशाहपुर में 5 कनाल 18 मरले भूमि को कुर्क कर दी गई है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड में उक्त कम्पनी की तहसील वजीराबाद में कोई जमीन नहीं है। यह कुर्की दो वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.न0 2165 दिनाकं 22.10.2019 मु0 40,44,000/–रू0 व आर.सी. न0 2428 दिनाकं 07.08.2020 मु0 16.729 करोड़) में की गई है। उक्त दोनो वसूली प्रमाण पत्रों के अधीन बकाया उक्त वर्णित भूमि से वसूला जाएगा।

संलग्न : उक्त।

निर्मल सिंह

ओ/ कृतेः उपायुक्त गुरूग्राम